खंड २

# बिहार विधान सभा

## सरकारी रिपोर्टें

(भाग २—प्रश्नोत्तर अंश रहित कार्यवाही)

बुधवार, तिथि ६ नवम्बर १९५७

Vol. II

No.

# The Bihar Legislative Assembly Debates

## Official Report

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

*Wednesday, the 6th November 1957*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार
पटना, द्वारा मुद्रित
१९५८

[मूल्य—३७ नये पैसे]

[*Price—37 Naye Paise*]

विहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि ३ दिसम्बर, १९५७ को पूर्वाह्न ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री प्रभुनाथ सिंह के सभापतित्व में हुआ।

(प्रश्नोत्तर—भाग १ में देखें।)

---

ईख की कीमत पर विशेष प्रस्ताव।

SPECIAL MOTION REGARDING PRICE OF SUGARCANE.

*श्री जनार्दन सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह दुनिया में और चीजों का दाम

---

बढ़ रहा है उसी तरह चीनी का दाम भी बढ़ रहा है। आज चीनी का दाम ३७-३८ रुपया हो गया है लेकिन ऊख का दाम वही पुराना १ रु० ७ आ० है। यह दाम उस समय था जबकि अल्मूनियम सल्फेट फी बोरा २०-२१ रु० मिलता था और रेड़ी की खाद ८-१० रुपये मिलती थी। इसके अलावे बैल का जोड़ा जो पहले ४०० रु० मिलता था वहां आज ६०० रु० हो गया है। इसलिये मेरा कहना है कि ऊख का दाम १ रु० ७ आ० उस समय तय किया गया था लेकिन आज जब इन सब चीजों का दाम बढ़ा हुआ है और चीनी ३७-३८ रुपये मन मिलती है उस समय ऊख का दाम भी बढ़ना चाहिए और इसलिए श्रीमती मनोरमा देवी ने जो संशोधित प्रस्ताव लाया है कि ऊख का दाम १ रु० १२ आना होना चाहिए, वह रखा जाय। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह सरकार अपना कोई कारखाना चलाती है और उसमें काम करने वाले मजदूरों को उनका पारिश्रमिक उचित रूप में दिया करती है उसी तरह चीनी उत्पादन करने वाले जो मिल मालिक हैं उनको उनका पारिश्रमिक दिया करे और चीनी के भाव के घटने-बढ़ने से जो मुनाफा हो, उसका फल किसानों को मिला करे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब आज चीनी का दाम बढ़ गया है तो ऊख का दाम भी बढ़ना नितान्त आवश्यक है।

दूसरी चीज यह है कि ऊख की सप्लाई के लिए केन ग्रोवर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटियां (ऊख उत्पादन सहयोग समितियां) काम कर रही हैं उसी तरह चीनी की खरीद-बिक्री का काम भी सोसाइटियों (समितियों) के मारफत होना चाहिए। ऐसा होने पर चीनी के भाव बढ़ने से जो मुनाफा होगा उसका लाभ किसानों को मिल जाया करेगा। मिल मालिकों की जितनी पूंजी लगी होगी उसके हिसाब से उनको मुनाफा देकर जो पारिश्रमिक बचेगा वह मजदूरों को भी मिल जाया करेगा।

तीसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि जब आज चीनी का भाव बढ़ रहा है तो सरकार क्यों नहीं छोटे-छोटे उद्योग के रूप में कोई ऐसी योजना चलाती है जिससे लोगों को गांवों में चीनी मिल जाया करे। मेरी जानकारी है कि जब गुड़ का दाम बढ़ जाता है तो लोग अपने ऊख को गुड़ बनाने के काम में लगाते हैं और मिलों को ऊख नहीं देते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार ऊख पैदा करने वाले किसानों की परेशानी को देखते हुए ऊख के दाम में वृद्धि करे और इसके लिए जो प्रस्ताव १ रु० १२ आने का है उसको मंजूर करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती मनोरमा देवी का जो संशोधित

---

प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो

दलील पेश की है, उसके साथ हूं। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि गांवों के क्षेत्र में जो अव्यवस्था है, जनता का जो लूट-खसोट हो रहा है उसका एकमात्र कारण, सरकार की पूंजीं-परस्त मूल्य नीति है, उसी पर जनता की क्रयशक्ति निर्भर करती है और जो उत्पादक हैं उनको इस अव्यवस्था से नुकसान उठाना पड़ता है। यही कारण है कि आज लोग गरीब हैं। सरकार को इस समस्या को हल करना पड़ता है। अभी कांग्रेस की सरकार ने जो समाजवादी ढांचा की नीति अपनायी है। इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए मूल्य के जरिए जो शोषण है उसको दूर करना है। और इस दृष्टि से ऊख उत्पादन क्षेत्र में जो दाम में अव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आज चीनी का दाम जिस अनुपात से बढ़ा है उसी अनुपात से ऊख का दाम भी बढ़ना चाहिए।

श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस सदन के सामने प्रस्तुत है ऊख की दर बढ़ाने के लिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। यों तो सारी दुनिया में १ लाख ४० हजार एकड़ में ऊख की खेती होती है लेकिन ४० हजार एकड़ में खेती सिर्फ हिन्दुस्तान में होती है। सबसे ज्यादे जमीन में यू०पी० में खेती होती है और उसके बाद बिहार का नम्बर आता है। लेकिन आज किसानों की माली हालत बहुत कमजोर है। उनको ऊख की खेती करने में जो खर्च पड़ता है उसके हिसाब से मार्जिनल प्राफिट बहुत कम होता है। इसलिए सरकार को उनकी माली हालत में सुधार लाना चाहिए।

इससे पता चलता है कि उनकी हालत सुधरनेवाली नहीं है जैसा कि एक कवि ने कहा है:

क्या कहूं मेरी हालत काबिले दीद है
न उनकी आश है, न उम्मीद है
दम घूट के मेरी हसरतें मर गईं
और मैं उन हसरतों का मजार हूं॥

इनका हिसाब तो ठीक लालाजी वाला है। कभी दो रुपया सड़ गया कभी दो रुपया गल गया और कभी दो रुपया फट गया। इसमें उनका लायन शेयर रहता है। यह उसी तरह है जिस तरह एक जंगल में एक सिंह ने कुछ और पशुओं के साथ शिकार का तीन टुकड़ा किया। पहले हिस्से को तो उसने यह कहकर रख लिया कि मैं जंगल का राजा हूं, दूसरा हिस्सा यह कहकर लिया कि मैंने भी इसमें काम किया है और तीसरा हिस्सा यह कहकर रखा कि देखें कौन मेरे सामने से ले जाता है। इससे गृहस्थों को फायदा नहीं होता है इससे तो मिल वाले फायदा उठाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामदेव सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी ईख की कीमत बढ़ाने का जो प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यदि ईख की वर्त्तमान दर को ही छोड़ दिया गया और इसमें उचित वृद्धि नहीं की गई तो चीनी का व्यवसाय हमारे यहां से समाप्त हो जायगा, चौपट हो जायगा। ऊख की खेती करने में किसानों को जो श्रम, और खर्च लगता है उसके अनुपात में यह कीमत बहुत ही कम है। यदि किसान ऊख की खेती बन्द कर

दें तो न मालूम चीनी के व्यवसाय का भविष्य क्या होगा? इसका अंदाजा कोई भी कर सकता है। पहले ईख की कीमत निर्धारित करने की सरकार की एक ही नीति थी वह यह थी कि चीनी जिस वक्त रुपये मन की दर से बिकती थी उतने ही आने मन की दर से ईख भी ली जाती थी यानी जब चीनी का भाव २८ रुपये मन रहता था तो ईख का भाव २८ आने या १ रु० १२ आ० मन रहता था। लेकिन आज देखते हैं कि चीनी का भाव ३८ तथा ४० रु० मन है और ऊख का भाव कम रखा गया है। मैं तो कहूंगा कि ऊख का भाव कम-से-कम २ रुपये या नहीं तो १ रु० १२ आने मन होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं सरकार ने क्यों उस पुराने तरीके को छोड़ दिया है। मेरा खयाल है कि यह बहुत ही जरूरी है कि चीनी के व्यवसाय को जिन्दा रखने के लिए ईख का दाम बढ़ाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसका जो उचित मूल्य हो उसे निर्धारित कर दे। चीनी व्यवसाय को कायम रखने के लिए यह अति आवश्यक है। जिस खेत में लोग ईख की खेती करते हैं उसमें साल में सिर्फ एक ही ईख की फसल होती है जबकि लोग चाहें तो उसमें कई एक फसल साल में उपजा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कई एक फसल को मार कर ईख की एक फसल होती है। जिस खेत में हम आज गहूं बोते हैं, तो गेहूं के बाद मकई काटेंगे और मकई के बाद रहर काटेंगे लेकिन ईख की तो एक ही फसल साल में होती है। इस तरह कई एक फसल को मारकर जब किसान एक ही फसल पैदा करते हैं और उसका भी उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलेगा तो चीनी का व्यवसाय मिट जायगा। गंगा के कछार में जहां ईख की काफी खेती होती थी ईख का उचित मूल्य और बिक्री का समुचित प्रबन्ध नहीं रहने के कारण लोग छोड़ रहे हैं। सरकार किसानों को इसके लिए न उचित प्रोटेक्शन देती है, न उचित कीमत ही निर्धारित करती है और न दूसरी तरह की ही सुविधायें दे रही हैं। अगर आप ईख की कीमत नहीं निर्धारित करेंगे तो यह न्याय नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव के द्वारा उचित मूल्य निर्धारित कर दे। १ रु० १२ आ० मन की दर की जो बात है उसे दो या सवा दो रुपये मन की दर से निश्चित कर दिया जाय तभी न्याय होगा।

*श्रीमती पार्वती देवी (चम्पारण)—उपाध्यक्ष महोदय, ऊख का दाम बढ़ाने के लिये जो

---

प्रस्ताव इस सदन में है उसका मैं समर्थन करती हूँ। इस साल बिहार में अकाल का जो प्रकोप है उसको देखते हुए ईख का दाम दो रुपये मन की दर से कम नहीं रहना चाहिये। मैं अपनी सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि वह केन्द्रीय सरकार से कहे कि बिहार की अकाल स्थिति को देखते हुए ईख का मूल्य निर्धारित करे। चम्पारण जिला के चनपटिया शूगर फैक्ट्री वाले वहां के किसानों का ऊख लेने में टालमटोल कर रहे हैं इसलिये वहां के किसानों में घबड़ाहट हो गयी है। देर से ऊख लेने में उख की वजन भी कम हो जाती है। इसलिये सरकार उस मिल वाले को पहले किसानों की ईख लेने को कहे तब मिल अपना ऊंख पेरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बैठ जाती हूँ।

*श्रीमती राम सुकुमारी देवी—उपाध्यक्ष महोदय, कल्ह से ऊख का दाम बढ़ाने के

---

लिये संशोधित प्रस्ताव पर बहस चल रही है। इस सम्बन्ध में मैंने देखा है कि कोई सदस्य १ रु० १० आने की बात कहते हैं, कोई १ रु० १२ आने की बात कहते हैं और अभी मैंने सुना कि ऊख की कीमत उससे भी ज्यादा होनी चाहिये। मेरा इस

सम्बन्ध में यह सुझाव है कि हमलोग एक निश्चित मूल्य को तय करें। इसके लिये एक टेकनिकल कमिटी बनायी जाय। इसमें केन ग्रोग्रर्स (ऊख उत्पादक) के रिप्रेजेन्टेटिव (प्रतिनिधि) भी होने चाहियें। यह कमिटी यह भी देखे कि जब तीन फसल को मार कर एक फसल होती है तो इसका उचित मूल्य क्या हो। साथ ही कौस्ट ऑफ प्रोडक्शन (उत्पादन खर्च) पर भी इस कमिटी को खयाल रखना होगा। इन सबों को देखते हुए एक सामंजस्य उपस्थित करे और सामंजस्य उपस्थित करते हुए एक निर्धारित मूल्य निश्चित करे।

ऊख की कीमत बढ़े, लेकिन अभी में यह देखती हूँ कि कोई १ रु० कहता है तो कोई १ रु० १२ आ० और कोई २ रु० भी कहता है। मैं कहती हूँ कि एक टेकनिकल कमिटी होनी चाहिये जो सारे डाटा को इकट्ठा करे और इस प्रकार कीमत को निर्धारित करे कि किसानों को सचमुच एक निश्चित मूल्य मिले जो बढ़ता हुआ दाम हो। अभी करीब ६ करोड़ मन गन्ने का उत्पादन है और मैं देखती हूँ कि अगर बिना हिसाब किए हुए, बिना सामंजस्य का ख्याल किए हुए गन्ने का दाम बढ़ा दिया जाता है तो नतीजा यह होगा कि केन ग्रोग्रर्स (ऊख उत्पादक) ऊख की खेती ज्यादा करने लगेंगे और फुड प्रोडक्शन (अन्न उत्पादन) में कमी आ जायगी; खासकर हमारे प्रान्त में जहां अन्न-संकट आता ही रहता है फुड प्रोडक्शन (अन्न उत्पादन) की कमी और भी इस समस्या को बड़ा आकार दे देगी। इसलिये मैं कहती हूँ कि किसानों को अधिक पैसा मिले अवश्य और केन ग्रोग्रर्स (ऊख उत्पादक) की शक्ति में भी कमी न आये लेकिन यह न हो कि फुड प्रोडक्शन (अन्न उत्पादन) में कमी हो और इसी लिए यह उस कमिटी का काम होना चाहिये कि दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य लावे ताकि केन ग्रोग्रर्स को प्रोत्साहन मिले और खाद्य की समस्या भी कठिन न हो पाये। ऊख की खेती बिहार के लिए एक प्रधान कैश क्रॉप की खेती है यह मैं मानती हूँ लेकिन अगर ऊख का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है तो इससे फुड प्रोडक्शन में कमी होने के साथ-साथ गन्ने की अधिक पैदावार के कारण बहुत-सा गन्ना खेत में पड़ा रह जाता है और सूखने लगता है; अन्त में किसान निराश हो जाता है और उससे लाभान्वित नहीं हो पाता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर ध्यान देना भी आवश्यक है।

दाम बढ़ने से केन ग्रोग्रर्स को फायदा होगा अवश्य लेकिन इससे कंज्यूमर्स (उपभोक्ता) भी एफेक्टेड होंगे और इस प्रकार कंट्री ऐज ए होल एफेक्टेड होता है। इस मामले में मैं समझती हूँ कि ऊख की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये गृहस्थों को जो अभी दाम मिलता है वह बहुत ही कम है जरूर लेकिन इस सम्बन्ध में इसका ख्याल रखना चाहिये कि दाम बढ़ाने के ख्याल से चीनी की कीमत नहीं बढ़ने पावे। चीनी महंगी होती जा रही है और दाम और बढ़ा देने से उपभोक्ता पर और भी बोझ बढ़ जायेगा। कंज्यूमर्स के इंट्रेस्ट (उपभोक्ता के स्वार्थ) को देखते हुए और किसानों को प्रोत्साहन देने के ख्याल से गन्ने का दाम बढ़े इसके लिए मैं सिफारिश करती हूँ।

कल एक सदस्य ने कहा कि पूसा रिसर्च इंस्टीच्यूट से कोई फायदा नहीं है। इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने देखा है कि वहां के आसपास के किसानों को इंस्टीच्यूट के रहने से बहुत फायदा हुआ है। इस अर्थ में कि वे अंश अनुसंधान करते हैं कि क्या किया जाय कि उत्पादन बढ़े और किसानों को अच्छा पैसा मिले और वे लाभान्वित हों। इसके लिए सेंटर खुले हुए हैं और वहां नई व्हराइटी के केन (ऊख) के बीज पर प्रयोग करके जब देखते हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा तो पूरे देहात में उसका प्रचार करते हैं।

अभी पूसा इंस्टीच्यूट से किसानों को सीड (बीज) देने का प्रबन्ध किया जाता है। ऐसी हालत में वहां पर जो रिसर्च इंस्टीच्यूट है वह सारे नौर्थ बिहार (उत्तर बिहार) की ही नहीं बल्कि सारे राष्ट्र की संपत्ति है और इससे ईख के किसानों को बहुत फायदा होता है। इसलिये मैं चाहती हूँ कि इस इंस्टीच्यूट का और बिस्तार किया जाय जिसमें वहां के किसानों की इससे और भलाई का काम हो। ऐसी हालत में यह कहना कि इससे किसी को फायदा नहीं है, यह बड़ी भारी भूल होगी।

अभी ईख के दाम बढ़ाने का सवाल है और इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह किसानों का एक मनीक्रौप है और इसलिये सरकार का ध्यान इसकी ओर खास तौर से जाना चाहिये और इसमें वृद्धि करने के लिये एक टेकनिकल कमिटी बना कर इसके सुधार का काम होना चाहिये। अभी तो इस अन्न-संकट के समय किसानों को दाम अधिक मिलना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती, और इसलिये मैं ईख का अधिक दाम मिलने के लिये सिफारिश करती हूँ।

ईख के दाम और दूसरी चीजों के दामों में एक तारतम्य (इंटर रिलेशन) है और जब एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरी चीजों का दाम भी बढ़ ही जाता है। जब सब चीजों का दाम बढ़ गया है तब ईख का दाम बढ़ना चाहिये। ऐसा नहीं होने से रूरल इकोनौमी पर बहुत ही जबरदस्त धक्का लगेगा। ईख का उत्पादन बढ़ाने के लिये इसका दाम जरूर बढ़ना चाहिये। इसी सिफारिश के साथ में अब अपना भाषण समाप्त करती हूँ।

*श्री देवगन प्रसाद सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में इस विषय

---

पर वाद-विवाद चल रहा है कि ईख की दर मुकर्रर की जाय। इस विषय पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि ईख का दाम बहुत ही कम है और इसको जितना अधिक हो सके उतना बढ़ाया जाय। ईख के उत्पादन में किसानों को बहुत मिहनत करनी पड़ती है। ईख ही एक ऐसी फसल है जिसको उपजाने में किसानों के देह से रस निकलता है और तब कहीं जाकर उसको ईख का रस मिलता है। ईख उपजाने में किसानों को कड़ी धूप में काम करना पड़ता है और वैशाख के महीने में देह के रस को जलाते ए काम करना पड़ता है और तब उसको ईख का रस पीने के लिये मिलता है। इसके अलावे और भी बहुत-सी कठिनाइयां उसके सामने इसे उपजाने में आती है। जब ईख की फसल तैयार हो जाती है तब किसान उसे पेड़ कर गुड़ पैदा करता है और मिलवाले उसे पेर कर चीनी बनाते हैं। ऐसी हालत में १ रु० १० आ० और १ रु० १२ आ० क्या, इससे भी ज्यादा ईख का दाम तय होना चाहिये। चीनी एक आवश्यक चीज हो गयी है और इसलिये सरकार को ईख पैदा करने के लिये इंतजाम करना चाहिये। चीनी के बगैर कोई आदमी नहीं रह सकता है और इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ईख का दाम बढ़ा करके ज्यादा चीनी पैदा करने के लिये इंतजाम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव सदन के सामने

---

ईख का दाम बढ़ाने के लिये आया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। इस प्रस्ताव में एक संशोधन है जिसमें ईख का दाम १ रु० १२ आ० कर देने के लिये कहा गया है। अगर इस संशोधन की मंशा इस सरकार को पोपुलर (लोकप्रिय) बनाने का है तो तब तो मैं इसके लिये सहमत नहीं हूँ लेकिन अगर यह मंशा न हो तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं तो यह कहता हूँ कि १ रु० १२ आ० ही क्या, ईख का दाम

२ रु० या उससे भी अधिक होना चाहिये । अभी कुछ दिन हुए अच्छे अच्छे भेंरायटी की ईखों का दाम ईख अधिकारियों और एम० एल० ए० लोगों ने २ रु० मन तय करने के लिये सिफारिश की थी । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि चीनी उद्योग भारतवर्ष का सबसे बड़ा उद्योग है और करीब २ करोड़ आदमी का सम्बन्ध इस उद्योग से है । करीब १॥ लाख कारीगर इस काम में लगे हुए हैं और करीब ३५ हजार आदमी कालेजों और स्कूलों से निकल कर इस उद्योग में किरानी का काम कर रहे हैं । इसलिये चीनी उत्पादन की क्षमता ईख उत्पादन पर निर्भर करती है और इसी पर देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है । अब हमलोगों को इस उद्योग पर विचार करना चाहिये कि किस तरह से चीनी का दाम बढ़ता गया और ईख का दाम घटता गया है । अभी मिलगेट पर १ रु० ७ आ० और रेल के कांटा पर १ रु० ५ आ० रेट है । इसके पहले १९५१–५२ में ईख का रेट १ रु० १२ आ० था और आज के दाम में पहले के दाम से जहां पर चीनी का दाम बढ़ गया और गन्ने का दाम घट गया है और इस तरह से ६० से ७५ प्रतिशत चीनी का दाम बढ़ गया है और ३० प्रतिशत ईख का दाम पहले से घट गया है । १९५१–५२ में चीनी का दाम ३०॥ रु० प्रतिमन रखा गया था और ईख का दाम १ रु० १२ आ० था । सरकार ने सोचा कि चीनी का यह दाम बहुत है और लोगों को सस्ती दर पर चीनी मिलनी चाहिये । उसने चीनी का दाम घटा कर २० रु० प्रतिमन कर दिया और मिलगेट पर १ रु० ५ आ० और दूसरी जगहों में १ रु० ३ आ० प्रतिमन ईख का दाम कर दिया । इस तरह से गन्ने के दाम में ३० से ४६ प्रतिशत कमी कर दी गयी । अब चीनी का दाम बढ़ा दिया गया और हिसाब लगा कर देखा गया है कि १ आना मन चीनी का दाम बढ़ाने से मिलमालिकों को ३ करोड़ रुपया मिलमालिकों के पाकेट में चला जाता है । अब आप अगर कौस्ट इन्डेक्स ऑफ प्राइसेस को देखेंगे तो मालूम होगा कि उपभोक्ताओं के काम में आनेवाली सभी चीजों का दाम बढ़ गया है । अब सवाल यह होता है कि कौन दाम निर्धारित करता है । अगर सरकार दाम निर्धारित करती है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिये । अभी जो दाम बढ़ा है उससे मिलमालिकों के मुनाफ में बड़ी भारी वृद्धि हुई है और अभी करीब ६६ प्रतिशत उनको मुनाफा मिल रहा है। तो आज हम देखते हैं कि मिल मालिकों को मुनाफे में काफी वृद्धि हुई है जब कि किसानों की हालत बहुत ही खराब हो गयी है । मैं मानता हूँ कि रिकौवरी कम है । १ से १५ मई तक जो रिकौवरी हुई है उसको विशेष ध्यान में रखते हुए सरकार ने चीनी का दाम कम करने के बारे में आंकड़ा पेश किया था । लेकिन हम देखते हैं कि १५ मई के बाद बहुत-सा ऊख सूख जाता है और गरमी के दिनों में उतना रिकौवरी नहीं मिल सकती है । इसलिये मेरा कहना है कि सरकार चीनी का दाम निर्धारित समय के अनुसार करे । जिस समय गरमी हो जाती है और रिकौवरी कम होती है यानी १५ जून तक तो समय को देखकर एभरेज पर दाम निर्धारित करना चाहिये और इस पर विचार करना चाहिये । हमारे कहने का मतलब है कि कम और बेशी दोनों मिला कर चीनी का दाम बराबर होना चाहिये, ऐसा न कि कभी दाम ३१ रु० और कभी ३२ रु० और कभी ३० रु० रहे । इसलिये सरकार को इस विषय में जस्टि-फिकेशन (औचित्यता) के साथ काम लेना चाहिये । बिहार की हालत विचित्र है । यहां पर २८ मिलें हैं जिनमें ९ करोड़ मन गन्ने की पेराई होती है और किसानों को १ रु० ७ आने मन के हिसाब से दाम मिलता है जो बहुत ही कम है । ऊख की उपज कम होती है यह जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है । केन्द्रीय चीनी समिति की यह रिपोर्ट है कि हिन्दुस्तान और खास कर बिहार में गवेषण में प्रति एकड़ ६ आने

खर्च है जब कि हवाई में ३२ रु० प्रति एकड़ गवेषण में खर्च है। अगर गवेषण पर ज्यादा खर्च किया जाता तो उपज जरूर ही बढ़ जाती लेकिन यह दोष सरकार का है जिससे कि उपज में वृद्धि नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ बिहार में १९५२–५३ में सरकार को १ करोड़ ४४ लाख रुपये केन सेस से मिला था और १९५५–५६ में १ करोड़ ५६ लाख रुपये मिले। इतना ही नहीं केन पर डिउटी भी बढ़ती ही जा रही है।

उपाध्यक्ष—यह बजट का जेनरल डिसकशन नहीं है। आप सिर्फ दाम के ऊपर ही

---

बोलिए।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, में तो दलील दे रहा था, लेकिन आपका

---

आदेश है तो मैं उस पर नहीं बोलूंगा। तो हमारा कहना यह है कि केन्द्रीय सरकार को भी एक्साइज डिउटी के रूप में बिहार से २ करोड़ ४४ लाख रुपये मिले। लेकिन हमारे किसानों की हालत बहुत ही बुरी है इसलिये कि उनको १ रु० ७ आ० और १ रु० ५ आने के हिसाब से मिलता है जिससे कि उनको घाटा होता है। घाटा होने पर भी लोग मजबूर होकर ऊख की खेती करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में ऊख रोपा जाता है उन इलाकों में बाढ़ और सुखार का भी प्रकोप हो जाता है और ऊख में एक किस्म की बीमारी भी हो जाती है जिसकी वजह से किसानों को काफी क्षति उठानी पड़ती है। कल भी एक माननीय सदस्य ने और आज भी एक माननीय सदस्या ने कहा है कि पुसा में एक रिसर्च इन्स्टीच्यूट है जो बीमारी के बारे में रिसर्च करता है। आप अभी जो प्रति एकड़ ६ आने गवेषण में खर्च करते हैं तो उसको बढ़ा दीजिये, हमको कोई उज्र नहीं है। मेरा कहना है कि सरकार इसको जितना खर्च करना चाहिये था खर्च नहीं किया। १ रु० ७ आ० और १ रु० १० आने मन भी कम ही दाम है इसलिये मेरा कहना है कि १ रु० १२ आ० दाम कर दिया जाय। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसके लिए केन्द्रीय सरकार के पास लिखेगी जिससे ऊख का दाम बढ़ जाय। इतना ही मेरा कहना है।

*श्री रामसेवक शरण—उपाध्यक्ष महोदय, ऊख के दाम को बढ़ाने का जो प्रस्ताव

---

इस हाउस में पेश है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार को यह देखना चाहिये कि किसान लोगों को ऊख की खेती करने में बहुत ही घाटा होता है और इसके लिए जरूरी उपाय करना चाहिये। आज किसानों को ऊख की खेती करने में बहुत ही घाटा होता है। जो लोग इसकी खेती करते हैं उनको मजदूरों को बेशी मजदूरी देनी पड़ती है, मवेशियों पर भी बेशी खर्च करना पड़ता है, खेत को जोतने में खर्च करना पड़ता है तथा और भी खर्च करने पड़ते हैं। फिर भी जितनी मात्रा में उनको उपज मिलनी चाहिए और दाम मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता है। खाद की कीमत में तो करीब करीब दुगुणा या तिगुणा खर्च करना पड़ता है। तो इतने खर्च करने के बावजूद भी वे लोग घाटा सहकर ऊख की खेती करते हैं क्योंकि उनको मजबूरी है इसलिये वे यह खेती महंगी होने पर भी करते हैं। इतना होते हुए भी दिन प्रतिदिन ऊख की उपज घटती ही जा रही है। और इसका कारण यह है कि सिंचाई की भरपूर व्यवस्था नहीं है। दूसरी दिक्कत किसानों को खेती करने के लिए खाद की है। आज किसानों के पास खाद के लिए कोई साधन नहीं है। जिनके पास कुछ साधन है तो खाद का प्रबन्ध कर लेते हैं लेकिन जिनके पास नहीं है उनके

खेत में खाद का प्रबन्ध नहीं होता है। हमारे प्रान्त में गोबर का खाद सबसे अच्छा समझा जाता है लेकिन किसानों के पास उतने मवेशी नहीं हैं कि वे उतने खाद का प्रबन्ध कर पायें। इसलिये आज विशेष तौर पर वैज्ञानिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिक खाद की कीमत बहुत ज्यादा है इसलिए जिन किसानों के पास पैसे हैं वे तो वैज्ञानिक खाद का प्रबन्ध कर लेते हैं लेकिन बेचारे गरीब किसानों को यह खाद नहीं मिल पाता है। इसलिए खाद का प्रबन्ध जरूरी है।

तीसरी बात यह है कि पूसा में रिसर्च इन्स्टीच्यूट है, लेकिन उसके रहते हुए भी आज बीघा के बीघा ऊख बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं यानी वे सूखते जा रहे हैं जिसकी वजह से आज किसान सिर पर हाथ धरकर रो रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आज किसानों को ऊख की खेती करने में विशेष फायदा नहीं है। कभी सुखार हो गया तो कभी पानी नहीं मिला और कभी बीमारी के कारण ऊख की खेती प्रायः खराब हो जाती है इसलिए एक समस्या किसानों के सामने है और उनको चिन्ता भी है। आज किसानों को पुष्ट बीज नहीं मिलता है जिसकी वजह से भी ईख सूख जाती है। इसलिए हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि हर एक किसान के लिए बढ़िया-से-बढ़िया बीज का प्रबन्ध किया जाय जिसमें उनके खेतों में अच्छी ईख बोयी जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसान जिन्दा रहेगा तो फैक्टरी भी रहेगी और यदि किसानों को सुविधा नहीं मिली तो गन्ने का उद्योग चौपट हो जायगा। हम काश्तकार हैं, एक जमाने से गन्ने की खेती हम करते आ रहे हैं इसलिए हमको इसका पूरा अनुभव है कि गन्ने की खेती में कितनी कठिनाई होती है और चूंकि अच्छे बीज नहीं मिलते हैं और कोई प्रबन्ध नहीं है जिसके कारण गन्ने खेत में ही सूख जाते हैं। इसके बाद चौथा घाटा यह है कि किसानों को ऊख का दाम बहुत कम मिलता है। वे बेचारे खेती करते हैं, लेकिन उन्हें घाटा ही घाटा है।

उपाध्यक्ष—इतनी मिहनत करते हैं, खर्च करते हैं और तौभी इतना कम मिलता है इस चीज को आप साबित करें।

श्री राम सेवक शरण—अच्छी बात है हुजूर, मैं इसे भी बतलाऊंगा।

हुजूर, देखा जाय कि १९४७-४८ में ऊख का दाम जब २ रु० मन था तो चीनी का भाव ३० रु० ५ आ० था। उस समय ऊख की उपज अच्छी थी, और कोई रोग बीमारी की बात नहीं थी। तब दो रुपए मन दाम था और आज वही ऊख का दाम जबकि इतनी बीमारियां हैं और चीनी का दाम भी ज्यादा है, घटते-घटते यहां तक आ गया है। १९४९-५० में ऊख का दाम १ रु० १० आ० मन था और १९५१-५२ में १ रु० १२ आना था जबकि चीनी का दाम ३३½ रु० मन था। आज खुले-आम मार्केट में जबकि चीनी १ रु० सेर बिक रही है तो इससे भी हिसाब लगा कर देखा जाय तो किसान घाटे में ही है। १ रु० ५ आ० मन ईख का दाम है और ४० रु० मन चीनी खरीदनी पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि ऊख का दाम घटाया गया है और चीनी का दाम बढ़ाया गया है जिससे मिल मालिक नफा उठा रहे हैं और हमारी केन्द्रीय सरकार नफा उठा रही है। पहले एक्साइज ड्यूटी ४ रु० २ आ० मन था उसको

बढ़ा कर आज केन्द्रीय सरकार डबल ड्यूटी यानी ८ रु० ४ आ० वसूल करती है। इस तरह केन्द्रीय सरकार दूना नफा कर रही है।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पोआएन्ट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि केन्द्रीय सरकार नफा उठा रही है तो इससे क्या मतलब है, क्या केन्द्रीय सरकार चीनी का व्यापार करती है?

उपाध्यक्ष—काम कैसे चले, ऊख का दाम कैसे बढ़ाया जाय माननीय सदस्य यह कहें तो अच्छा हो।

श्री राम सेवक शरण—हुजूर, मैं यह कह रहा था कि ऊख की खेती किसान करते हैं और मिल मालिक और सरकार दोनों ही फायदे में हैं बल्कि बेचारे किसान घाटा-ही-घाटा उठा रहे हैं। इसलिए सरकार को यह सोचना चाहिए कि कैसे किसानों को लाभ पहुंचाया जाय। हमारी सरकार और मिल मालिकों को पैसे मिलें इसमें हमको कोई उज्र नहीं है लेकिन किसान घाटा नहीं उठायें इस पर सरकार को सोचना है और यह सरकार की जवाबदेही है। आज ऐसी स्थिति यहां पैदा हो गई है कि विधान-सभा में यह प्रस्ताव लाया गया कि ऊख का दाम बढ़ाना चाहिए। हमारी सरकार को इस पर काफी ध्यान देना चाहिए। और इसे मान लेना चाहिए कि १ रु० १२ आ० मन ऊख का दाम हो जिससे हमारे किसान जिन्दा और खुशहाल रहें।

*श्री भोला नाथ भगत—उपाध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि बिहार एक एग्रीकल्चरल (कृषि प्रधान) प्रान्त है और इसकी इकोनौमी ऐग्रीकल्चरल इकौनौमी है और सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि साधारण तरीके से हमें यह देखना है कि यहां के ऐग्रीकल्चरिस्ट के ऐग्रीकल्चरल इकौनौमी की क्या हालत है, उनकी आर्थिक दशा कैसी है? हम कहते हैं कि स्वराज्य के बाद, १९४८ से आप देखें कि उनकी जो इकौनौमी है जिसको हम एक टर्म में "कैपिटल फौरमेशन" कह सकते हैं, वह अच्छी नहीं है और बढ़ी नहीं है। आज हिन्दुस्तान के अच्छे-से-अच्छे अर्थशास्त्र के पंडितों का कहना है कि पर कैपिटा कौस्ट ऑफ लिविंग यहां बढ़ गया है और किसान चूंकि ज्यादा संख्या में हैं और उन्हें जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं उसमें उन्हें अधिक खर्च पड़ता है इसलिए ऐग्रीकल्चरल इकौनौमी तरक्की नहीं करती है। इसका एक साधारण सबूत यह है कि हर साल बजट मे यह कहा जाता है कि २५-२६ करोड़ रु० किसानों के पास, ऐग्रीकल्चरिस्ट लोन की शक्ल में या लैन्ड इम्प्रूवमेंट लोन की शकल में, बाकी हैं जो वसूल नहीं हो रहे हैं। इसके लिए सरकार को चिन्ता है। मैं पूछता हूं कि इससे क्या साबित होता है? इससे स्पष्ट है कि जनता कर देने के लायक नहीं हैं। यह साधारण बात है कि सरकारी कर्ज लोगों को देना ही है और वे अच्छी तरह जानते हैं कि इसे अदा करना है इसलिए अगर उनकी हालत अच्छी रहती तो वे जरूर अदा कर देते। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते इससे जाहिर है कि उनकी माली हालत अच्छी नहीं है। बिहार प्रान्त में ऐसे तो कई कैश क्रौप हैं लेकिन उनमें दो-तीन मुख्य हैं। जैसे, शूगरकेन (ऊख), लैक और जूट।

आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि बिहार के जितने भी कैश क्रौप हैं चाहे वे शूगरकेन हों, लैक हों, जूट हों, कुछ भी हों, सबों की हालत एक ही है। इस सदन

में एक सुझाव दिया गया है कि शूगरकेन का दाम १ रुपए ५ आने मन से १ रुपए १२ आने मन कर दिया जाय। हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर (कृषि) के जितने भी कैश क्रौप हैं सवों की हालत एक ही है। आप शूगरकेन (ऊख) के वारे में हमसे ज्यादा जानते होंगे। हमारे यहां इसकी खेती वहुत कम होती है। हमने देखा है कि हमारे यहां लोग सालों भर खेती में लगे रहते हैं। एवाउट (करीव) ९ महीना तो वहुत वीजी (व्यस्त) रहते हैं। इसके वाद दूसरी चीज यह भी है कि हमारी तरफ जव एक साल ईख की खेती करते हैं तो फिर तीन साल के वाद उस खेत में ईख लगाते हैं।

उपाध्यक्ष—यदि आप जल्द खत्म कर सकते हैं तो खत्म करें। नहीं तो यदि देर तक वोलना है तो अव लंच के वाद वोलेंगे।

(अन्तराल।)

(इस अवसर पर श्री यदुनन्दन झा ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्री भोलानाथ भगत—सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि अभी किसानों की हालत अच्छी नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसका सवूत यही है कि आज सात-आठ साल से किसानों को जो कर्ज दिया जाता है, वसूल नहीं हो पा रहा है, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वे दे सकें। अगर उनकी हालत अच्छी रहती, वे अच्छी पोजीशन (हालत) में होते तो कर्ज की चुकती कर सकते थे, लेकिन वे स्थिति से असमर्थ हैं। दूसरी वात है कि आप देखें कि किसानों पर टैक्स का कितना वोझ वढ़ गया है। युनियन गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) के सेन्ट्रल एक्साइज के एक आइटम को आपके सामने रखना चाहता हूं। १९४८-४९ में इसकी आमदनी थी ५०.६३ करोड़ यानी ५० करोड़ ६३ लाख और आज १९५६-५७ में उसके वदले में हो गयी है २५८ करोड़ ४३ लाख। इतनी एक्साइज ड्यूटी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की वढ़ गयी। आप समझ सकते हैं कि इसका भार किन पर पड़ता है, यह भार किसानों पर, मजदूरों पर पड़ा है जो सवसे नीचे हैं। इसको देखने के वाद मैं कह सकता हूं कि आज किसानों की हालत अच्छी नहीं है। इस्टर्न इकौनौमिक्स के औथर (लेखक) का कहना है कि कम्युलेटिव एफेक्ट इंफ्लेशन और टैक्सेशन का ज्यादा किसानों के कंधों पर पड़ा है। कहने का मतलव है कि इंफ्लैशन और एेडीशनल टैक्सेशन से (१२) वारह-तेरह प्रतिशत ज्यादा वरडेन (वोझ) किसानों पर पड़ा है। १९४९ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) का एक्साइज रेवेन्यु ५० करोड़ था और आज वह वदल कर २५८ करोड़ हो गया है। आप कैसे कह सकते हैं कि किसान सुखी हो रहे हैं? मैं कहूंगा कि किसान और मजदूर जो देश के असल एक युनिट हैं वे प्रौसपरस (सुखी) होंगे तभी देश सुखी और सम्पन्न होगा। अगर सारे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसानों की स्थिति ठीक नहीं है तो आपका फर्ज हो जाता है कि आप ब्लौक खोलें, मजदूरों के नाम से खर्च करें.............

सभापति (श्री यदुनन्दन झा)—यहां तो ईख के दाम वढ़ने की वात है, यहां पर ये सव वातें कहां रख रहे हैं?

श्री भोला नाथ भगत—आप कह सकते हैं कि दो आना, चार आना वढ़ा देने से क्या वे वड़े हो जायंगे? लेकिन मैं कहता हूं कि हां, जिस तरह कहा गया है

कि "मेनी ड्रौप्स मेक दी माइटी ओशेन" उसी तरह आपको जहां मौका मिले आप उन्हें मदद करें। गवर्नमेंट की पौलीसी (नीति) होनी चाहिए कि किसानों को प्रोत्साहन दे, उन्हें बढ़ावा दे। सभापति महोदय, आपकी तरफ तो काफी ईख की खेती होती है, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि खेतिहर कितने इन्टर प्राइजिंग (साहसिक) होते हैं। किसान ट्रैक्टर से या और भी अन्य तरीकों से खेती करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वे इस पोजीशन (हालत) में नहीं हैं कि ऐसा कर सकें। सरकार को चाहिए कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के कौस्ट (मूल्य) को बढ़ा दे और उसके प्रोड्यूस का दाम बढ़ा दे। मैंने भी कहा है और अन्य माननीय सदस्यों ने भी बताया है कि ईख की खेती में काफी खर्च पड़ता है और सालों भर कुछ-न कुछ करते ही रहना पड़ता है। जितने एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स हैं, जितनी नेसेसिटी (आवश्यकता) की चीजें हैं और उन चीजों पर जो टैक्सेशन होता है उसके बारे में मैंने बताया है कि १९४८-४९ से आज के टैक्स में पांचगुणा का अन्तर हो गया है, इतना टैक्स बढ़ गया है। इसका भार किन पर पड़ा है? यह भार किसानों पर पड़ा है। किसानों को सुखी रखें तभी देश भी सुखी रह सकता है। खास कर बिहार ऐसे देश में जहां किसान की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए जो संशोधित प्रस्ताव है कि ईख की कीमत १ रुपए १२ आने मन हो उसका मैं समर्थन करता हूं।

*Shri **RAMCHARITRA SINGH**: Sir, this resolution has been before the House since yesterday and we do not know the attitude of the Government. If we know the Government's attitude we can discuss it further because neither the opposition nor the members on the other side are opposed to this resolution. Therefore, it would be better if the Government declared its own policy.

**CHAIRMAN (Shri Jadunandan Jha)**: At 3 P.M., Government will reply and members who want to speak can do so till then.

श्री दारोगा प्रसाद राय—ट्रेजरी बेंच खाली है और वे केयरलेस (असावधान) मालूम पड़ते हैं। इसमें सरकार को तो कुछ करना नहीं है केवल केन्द्रीय सरकार के पास सिफारिश भेज देनी है।

श्री भोला पासवान—हम मानते हैं कि हमारे कोलीग (साथी) नहीं हैं लेकिन एक सदस्य बैठते हैं तो कई सदस्य उठते हैं। इसका मतलब है कि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और सरकार माननीय सदस्यों की राय जानने के बाद अपना जवाब तो देगी ही।

श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह—हमलोगों को यह विचार करना है कि ईख का दाम कम है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। सदन इस पर विचार कर ले तब सरकार क्या करना चाहती है वह बतायेगी।

श्री रामचरित्र सिंह—इसपर तो दोनों तरफ के सदस्यों की राय एक है इसलिये सरकार का विचार जानने के बाद फिर यह डिस्कस किया जाना चाहिये कि सरकार और क्या लाइट चाहती है।

**CHAIRMAN (Shri Jadunandan Jha)**: Since Hon'ble Members want to speak let them speak.

श्री ध्रुवनारायण त्रिपाठी—माननीय सभापतिजी, सदन के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित है कि ईख का दाम बढ़ाया जाय, प्रस्ताव है कि ईख का दाम जो अभी १ रु० ५ आने और १ रु० ७ आने मन है उसे १ रु० १० आने किया जाय और इसमें संशोधन है कि ईख का दाम कम-से-कम १ रु० १२ आने मन किया जाय। मैं संशोधन के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। कल से इस पर बहस हो रही है और यह निर्विवाद है कि सभी १ रु० १२ आने के पक्ष में सहमत हैं। अभी जो चीनी की कीमत है उस अनुपात में ईख का दाम १ रु० १२ आना होना बहुत जरूरी है। ईख उपजाने में किसानों को बहुत खर्च करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि मुरहन और खूंटी लगा कर लगभग ४०० मन प्रति एकड़ ईख उपजती है और इसमें ३ वर्ष का समय जैसा कि श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल ने कहा है, लगता है वह ठीक है। खूंटी के कट जाने के बाद भी एक वर्ष तक उस खेत में कोई फसल नहीं होती है, इससे यह हुआ कि उसमें ३ वर्ष का समय लगता ही है। रेलवे स्टेशन पर ईख पहुंचाने में भी किसानों को खर्च करना पड़ता है, खाद, बीज, रखवाली आदि में भी काफी खर्च करना पड़ता है।

आपको मालूम होगा कि हमारा ढ़ाई सौ रुपये से कम खर्च खेती में नहीं पड़ता और गाड़ी-भाड़ा छांट कर करीब ४७५ रु० दो साल में निकलता है और तीन वर्ष की फसल मारी जाती है, खेती का खर्च छांट कर मोटा-मोटी ७५ रु० साल में प्रति एकड़ मिलता है। अगर उस जमीन में ऊंख की जगह रवी और भदई पैदा करते तो सब खर्च काट कर कम-से-कम १० मन गल्ला प्रति वर्ष भदई और रवी का मिलता जिसकी कीमत कम-से-कम १०० रु० होता। तो सभापति महोदय, कम-से-कम २५ रु० मनीक्रौप के नाम में घाटा सहते हैं। काफी कठिनाई किसान बर्दाश्त करते हैं फिर भी मनीक्रौप के नाम पर इसकी खेती करते हैं। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि बैलगाड़ियों पर जो ऊख भेजे जाते हैं उसकी तौल एक-दो फैक्ट्री वालों को छोड़ कर सभी जगह रात में होती है और इसकी शिकायत किसानों की बराबर रहती है कि तौल कम दिखाई जाती है। एक-दो मिलों में दिन ही के समय बैलगाड़ियों के ऊख की तौल हो जाती है और रेलगाड़ियों के माल डब्बे में जो ऊख आते हैं उनकी तौल वे लोग रात में करते हैं। रात में तौल होने के कारण बैल और गाड़ीवान ठंढ की वजह से ठिठुरते रहते हैं। इन सब बातों पर ध्यान रखने से आपको मालूम होगा कि काफी कठिनाई के बाद किसान को उतनी आमदनी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिये। हुजूर, कही गई बातों को दुहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। संक्षेप में मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि ऊख रुपये-पैसे का क्रौप है, इस नाम पर किसान इसकी खेती करते हैं और बड़ी कठिनाई उन्हें उठानी पड़ती है, चलान से लेकर तौल और कीमत देने तक। चम्पारण जिले में हरिनगर मिल में परसाल जो गन्ने की तौल हुई उसकी कीमत किसानों को आजतक नहीं मिली। एक प्रश्न के उत्तर में डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बताया कि कीमत दी जा रही है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं करीब ८० हजार रुपये किसानों के मिलवालों के यहां बाकी हैं, किसान सोचते हैं कि मालगुजारी देनी है, कपड़ा वगैरह खरीदना है, लगन के दिनों शादी-ब्याह में खर्च करने हैं, लेकिन उनको समय पर कीमत मिल वालों के द्वारा नहीं मिल पाती है और उनको कर्ज लेना पड़ता है, सूद देना पड़ता है और

साथ-ही-साथ कर्ज के लिये सलामी भी। मिल वाले जो बीज या खाद देते हैं उसके लिये वे किसानों को रुपया जो देते हैं उस पर सूद लगता है। अगर किसानों से मिल वाले सूद लेते हैं तो किसानों के जो रुपये मिल वालों के यहां सालों-साल बाकी पड़े रहते हैं उनके लिये किसानों को सूद क्यों नहीं मिलता है? इन सारी बातों को देखने और ऊख की कीमत मिलान करने पर और चीनी की जो कीमत निर्धारित है उसको भी ध्यान में रखने से पता चलता है कि ऊख की कीमत कम-से-कम एक रुपये १२ आने प्रति मन होनी चाहिये और इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महेन्द्र महतो—सभापति महोदय, आज इस सदन में ऊख की दर बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ भी सुझाव इसके सम्बन्ध में दिये हैं उसकी मैं मान्यता देता हूं। सभापति महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। विहार का उत्थान और पतन यहां के कृषकों के ऊपर ही निर्भर करता है। उसमें गन्ना यहां का प्रमुख उपज है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर सरकार इसका दाम घटा कर विहार के किसानों को हतोत्साह करे, ध्यान नहीं दे तो यह विहार सरकार के लिए लज्जा की बात होगी। सरकार की नीति है कि जो कुछ भी हो, नीचे से हो, लेकिन यहां जो दर तय की जाती है वह ऊपर से लादी जाती है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि जो आदमी खेती करता है, सिंचाई करता है, और उपजाता है, उसकी रक्षा करता है वह दाम तय नहीं करता है और सरकार उसकी दर निश्चित करती है। यह अजब तमाशा है। आप अपने बैलों को खिलावें-पिलावें और जब उसको बेचना हो तो उसका दाम तय करने के लिए दूसरा आदमी आवे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऊख की दर बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव आया है उसको मान लें और १ रु० ५ आ० से बढ़ा कर १ रु० १२ आ० कर देने के निर्णय को भारत सरकार के पास भेज कर स्वीकृत करावें।

**Shri BRAJESHWAR PRASAD SINGH** : Mr. Chairman, Sir, the question regarding the increase in the prices of cane, i. e., two annas per maund is holding the House for the last two days. The real thing to be considered is what are the factors which constitute the basis of production. To my mind, I find there are six factors. The first is the investment of capital, the second is the labour charges, the third is the incidence of excise duty, the 4th is the bullock cart taxation, the 5th is the road cess and the sixth is the additional taxation. These are the productive sides. Then comes the consumption side. It is known to everybody that thereno comes the question of marginal profit to the kisans. Now we are to see whether the kisans of the State of Bihar are getting adequate marginal profit by fixation of the cane price. This concerns the rural economy of the whole State. It is the duty of the Government to see that the rural economy of the State of Bihar should be strengthened as much as possible. With these few words I recommend and appeal to the Treasury Benches that the price as amended, which has been put before the House, must be unanimously supported.

*श्री मंजूर अहमद—जनाबेसदर, आज हमारे सामने श्रीमती मनोरमा देवी का जो संशोधन है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं ऐसे इलाके से आता हूं जहां गन्ने की खेती बहुत पैमाने पर की जाती है। हमारे सबडिवीजन में चीनी बनाने का एक कारखाना है जिसको मोहनी शूगर फैक्टरी कहते हैं। वह बारसलीगंज में है। उस मिल में वहां के केवल सात थाने का ही गन्ना नहीं आता है बल्कि मुंगेर, भागलपुर, और पटना जिले के बहुत से स्थानों से गन्ना आता है। यह बहुत बड़ा कारखाना है। मैं उस इलाके का रहनेवाला हूं इसलिए मुझे इसका तजर्बा है कि इस कारखाना की वजह से इस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है जितनी कहीं नहीं की जाती है। मैं यह भी जानता हूं कि उस खेती से उनको कितना फायदा होता है या घाटा होता है। यह मेरा जाती तजर्बा है और जाती तजर्बा होने के कारण मैं जानता हूं कि जितना उनका खर्च होता है उतना फायदा नहीं होता है। बहुत खफीफ मुनाफा मिलता है। और वह भी मुनाफा अगर किसानों को बचता तो मैं इसकी दर बढ़ाने के लिए सरकार से सिफारिश नहीं करता। लेकिन वह जो खफीफ मुनाफा मिलता है वह काफूर की तरह मिट जाता है। इसके अलावे किसानों को जो तकलीफ होती है, मिल के दरवाजे पर ले जाने में कार्टेज जो लगता है, बैलों और गाड़ीवानों को ४, ५ दिन वहां रहना पड़ता है और उससे जो उनको तकलीफ होती है, ऊख ले जाने में जो बर्बादी होती है, पचासों ऊख खींचा जाता है, पुलिस उनकी रक्षा करने में असमर्थ होती है, ऊख तौलने में जो देरी होती है, उससे ऊख सूख जाता है इस तरह जो कुछ मुनाफा होता है वह काफूर हो जाता है। अगर वह मार्जिनल मुनाफा किसानों को मिल जाता तो हमारा सरकार से कुछ कहना नहीं था लेकिन वह सब मुनाफा इस काम को करने में खत्म होजाता है। इस चीज को सामने रखते हुए हम समझते हैं कि गन्ने की कीमत में इजाफा करना निहायत जरूरी है। हमारे साथी ने कहा कि सरकार की क्या नीति है। मैं कहता हूं कि सरकार की तो वही नीति है जो हमारी होगी। अगर सदन के सभी सदस्य इसपर राजी हैं कि गन्ने की कीमत १ रु० १२ आना मन होनी चाहिए तो सरकार की भी यह नीति होगी। हम सुप्रीम बडी (सर्वोच्चअंग) हैं। हमारी राय है कि गन्ने की कीमत बढ़ाकर १ रु० १२ आना कर दी जाय तो हमारी सरकार की भी पालिसी (नीति) वही होनी चाहिए। मैं सदन का वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहता हूं कि इसकी दर में इजाफा की जाय। अभी जो दर है उससे किसानों को फायदा नहीं है। बाज लोग समझते हैं कि गन्ने की दर अधिक हो जाने से चीनी उद्योग की नुकसानी होगी। मैं कहता हूं कि आइन्दे जो नुकसानी होने वाली है उससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि अगर किसान यह समझ लें कि गन्ने की खेती से मुनाफा नहीं है और घाटा होता है और इसमें तरह तरह के झंझट हैं, पैसा कम मिलता है, परेशानी है तो किसी दिन वे गन्ने की खेती करना छोड़ दे सकते हैं। इससे मिल बन्द हो जायेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मिल चालू रहे तो गन्ने की दर में इजाफा कीजिए ताकि किसान और भी मिहनत से गन्ने की खेती करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमती मनोरमा देवी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्ण माधव प्रसाद सिंह—माननीय सभापति महोदय, मैं भी ऐसे इलाके से आता हूं जहां ईख की प्रचुर खेती होती है। हमारे यहां जो दिक्कत होती है वह यह

है कि मिल वालों ने अपने इलाके के गांवों को तीन हिस्सों में बांट दिया है जैसे रिजर्व एरिया, एसाइन्ड एरिया और फ्री एरिया। इसमें यह गड़बड़ी होती है कि मिल वाले सालों-साल सबको बदलते रहते हैं। कभी रिजर्व एरिया वाले गांव को एसाइन्ड एरिया में, कभी एसाइन्ड एरिया फ्री एरिया में और कभी फ्री एरिया रिजर्व एरिया में बदल दिया जाता है। इससे किसानों को इसका पता ही नहीं चलता है कि हम किस एरिया में हैं। इसको सिर्फ मिलवाले और सरकार ही जानती है। कभी-कभी जब किसानों के खेत ईख से भरे रहते हैं तो मिल वाले कह देते हैं कि आपकी ईख नहीं लेंगे क्योंकि आप फ्री एरिया में हैं, साथ ही इसके लिये वे वाध्य भी नहीं रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि उन किसानों की क्या दशा होती होगी जिनके खेत में ऊख पड़े रह जाते हैं। यह वहुत बड़ी दिक्कत है। इस चीज को सरकार को बन्द कर देनी चाहिये या एरिया का क्लासिफिकेशन (वर्गीकरण) बन्द हो जाना चाहिये।

दूसरी दिक्कत यह है कि मिल वाले रिजर्व एरिया वाले किसान के ऊख को यह सोचकर छोड़ देते हैं कि इसे तो लेना ही है बाद में लेंगे और एसाइन्ड एरिया की ईख लेने लगते है। इससे रिजर्व एरिया वाले को घाटा होता है। जब सीजन का अंत हो जाता है तो ईख की वजन कम होने लगती है और परसेन्टेज ज्यादा होता है इससे मिल वाले को फायदा और किसानों को नुकसान होता है। किसानों को दाम भी कम मिलता है।

तीसरी चीज यह है कि हमारे यहां केन ग्रोअर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इन सोसाइटियों में अभी तक ७-७ तथा १०-१० वर्ष हो गये लेकिन औडिट (जांच) नहीं हुई है। इससे किसानों के बहुत दिनों का दाम बाकी पड़ा हुआ है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमती मनोरमा देवी के संशोधित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—सभापति जी, इस संबंध में दो दिनों से वहस होती

---

रही है और माननीय सदस्यों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। बीच में यह प्रश्न भी उठा था कि सरकार क्या सोचती है तथा इस मामले में सरकार का क्या रुख है। जैसा कि अभी सदस्यों ने बताया है, पेंट किया है कि सरकार केन ग्रोअर्स का साथ क्यों नहीं देती है तथा मिल वालों का साथ देती है लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार का ऐसा रुख नहीं है। सरकार का इस पार्टीकुलर (खास) इशू पर या जो भी फैक्टर्स रिलेटिंग टु प्राइस (कीमत संबंधी) हैं या सरकमस्टांसेज रिलेटिंग टु फिक्सेसन ऑफ प्राइस (कीमत निर्धारित करने संबंधी परिस्थितियां) हैं उसको मैं सदस्यों के सामने रख देना चाहता हूं। सदस्य रेजोल्यूशन (संकल्प) पास कर सकते हैं या जो भी रेजोल्यूशन (संकल्प) पास कर सकेंगे उस रेजोल्यूशन (संकल्प) को सरकार केन्द्रीय सरकार को फारवार्ड कर देगी अथवा प्रौपर औथोरीटीज (उचित प्राधिकारी) को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (भारत सरकार) को जो केन की प्राइस (कीमत) फिक्स्ड (निश्चित) करती है। इस संबंध में मैं एक दो चीज और पृष्टभूमि के रूप में रख देना चाहता हूं हाउस के सामने। वह यह है कि प्राइस फिक्सेसन पहले यू० पी० और बिहार के ज्वायन्ट शूगर कंट्रोल बोर्ड के जरिये होता था। इस बोर्ड का जो भी रिकौमेंडेशन (सिफारिश) होती थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लिया करती थी और उसी तरह से प्राइस फिक्सेसन (कीमत विर्धारित) होती था। इधर

चार-पांच वर्षों से यह बात हटा दी गयी है क्योंकि अब सिर्फ बिहार और यू० पी० में ही इसकी अधिक खेती नहीं होती है बल्कि और और राज्यों में भी इसकी खेती अब काफी जोर शोर से होती है। इंडिया गवर्नमेंट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट (निर्यात और आयात) के आंकड़े को देखकर शूगर का प्राइस तय करती है। भारत सरकार ने इस काम को अब अपने हाथ में ही ले लिया है। पहले के जैसा अब शूगर कंट्रोल बोर्ड की सिफारिश को माना भी नहीं जाता है। इसे मैंने इसलिये सदन के सामने रखा है क्योंकि कुछ सदस्य इस तरह बोल रहे थे मानों बिहार सरकार ही ऊख का दाम बढ़ाती और घटाती है। यह बात निस्सन्देह है कि प्राइस फिक्सेसन के समय जिन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है वे हैं कौस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मेटेरियल का दाम, लेबर का दाम, एस्टाब्लिशमेंट का दाम और डेप्रीसिएशन। लेकिन इन सब चीजों को सुपरसीड कर जाता है डिमान्ड एन्ड सप्लाई (मांग और पूर्ति)। डिमान्ड ऐन्ड सप्लाई (मांग और पूर्ति) चीज है जिसको अलग नहीं रखा जा सकता है। इसी तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। छोटानागपुर में लैक की प्राइस (कीमत) पहले अच्छी थी इधर गिर गयी है। पहले जूट का भी भाव बड़ा अच्छा था लेकिन इसमें भी मन्दी आ गई है। इसका कारण भी यही है कि यहां इसकी खपत नहीं होती है। पार्टीशन (बंटवारा) होने के कारण इसका भाव गिरता गया। इसके लिये हमें फारेन मार्केट (विदेशी बाजार) पर डिपेन्ड (निर्भर) करना पड़ता है। केन प्राइस के बारे में सदस्यों ने कहा कि कौस्ट ऑफ कल्टिवेशन हमारे यहां बहुत ज्यादा बढ़ गया है. सरकार इसे मानती है। यह इधर कुछ दिनों से और बढ़ रही है क्योंकि फर्टिलाइजर वगैरह के दाम भी बढ़ गये हैं। शूगरकेन के प्राइस फिक्सेसन के समय एक यह भी कंसीडरेशन रहता है कि एकोनामिक ऑफ औलटरनेटिव क्रौप्स क्या है। इन सब चीजों को विचार कर ही शुगरकेन की प्राइस फीक्स्ड (कीमत निर्धारित) होती है। इस सिलसिले में मैं सदस्यों के सामने कुछ आंकड़े भी पेश कर देना चाहता हुं। लोगों ने कहा है कि दाम इधर धीरे-धीरे घटता जा रहा है और आगे चल कर यह इंडस्ट्रीज खतम हो जायगी यानी हो सकता है कि उसको ऊख नहीं मिले। १९४७-४८ में जब शूगरकेन दो रुपये मन था तब यहां पर ३.६६ लाख एकड़ था, १९५१-५२ में जब शूगरकेन १ रु० १२ आना मन था तब एकरेज ३.५३ लाख था, १९५५-५६ में जब १ रु० ५ आने या १ रु० ७ आने था तब एकरेज ४.२५ लाख एकड़ था और १९५६-५७ में जब वही दाम रहा तो भी साढ़े चार लाख एकड़ हो गया है।

मैंने यह सिर्फ इसलिए प्रस्तुत किया कि एकरेज और मंडेज हायेस्ट रहा है पिछले साल, १९५६-५७ में जब कि ९ करोड़ कई लाख मन ईख बिहार में पैदा हुई। इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि शूगरकेन का कल्टीव्हेशन यहां बढ़ता गया। यहां ३० फैक्ट्रियां हैं लेकिन उनमें २ अभी बंद हैं और २८ चालू हैं। इन २८ फैक्ट्रियों की क्रशिंग कैपैसिटी करीब ८॥ करोड़ मन है। कैपैसिटी का जिक्र में इसलिए कर रहा हूं कि यह भी एक रिलेटिव्ह टर्म है। लेकिन हमारे यहां गर्मी के दिनों में क्रशिंग (पेराई) की जाती है तो रिकव्हरी गिर जाता है और पहले, यानी अक्तूबर के आखीर और नवम्बर के शुरू में भी क्रशिंग करने से रिकव्हरी गिरती है। तो इकनामिक कारण से भी ...............

श्री मिश्री सिंह—४ करोड़ और कई लाख जो उत्पादन बढ़ा वह कृपा करके बतलायेंगे कि उत्तर बिहार में कितना बढ़ा और दक्षिण बिहार में कितना।

सभापति (श्री यदुनन्दन झा)—इसकी क्या जरूरत है ?

श्री मिश्री सिंह—गवर्नमेंट कहती है कि इतना उत्पादन बढ़ा। मैं उत्तर बिहार का अलग और दक्षिण बिहार का अलग उत्पादन का आंकड़ा इसलिए जानना चाहता हूं कि मेरा इसके बाद यह सजेशन (सुझाव) होगा कि चूंकि उत्तर बिहार में चार, पांच साल से बाढ़ आ रही है इसलिए किसान मजबूर होकर ऊख का उत्पादन कर रहे हैं।

सभापति (श्री यदुनन्दन झा)—यह बात सरकार नहीं मानती है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—हम लोगों की बात सरकार नहीं मानती है तो हम लोग भी सरकार की बात नहीं मानेंगे (हंसी)।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—यह दूसरी बात सरकार के सामने नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार को अपनी बात कहने दीजिए फिर आपको जैसा उचित मालूम हो कर सकते हैं। दक्षिण बिहार में अभी चार ही मिलें हैं २८ में, जो काम करती हैं और बाकी २४ उत्तर बिहार में हैं। इसलिए कोई हेर-फेर भी अगर हो तो ऐसा नहीं होगा जिससे ज्यादा प्रभाव आंकड़ों पर पड़े। इसलिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में इस मामले में कोई झगड़ा नहीं है। कोई बड़ी तबदीली आंकड़े में नहीं होती।

तो मैं कह रहा था कि शूगर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा (मेजर) पार्टनर स्टेट है यू० पी० का जहां ६८ मिलें हैं। उसके बाद बिहार है, यहां अभी २८ हैं। उसके बाद है बम्बई जहां १५ मिलें हैं; फिर आंध्र है जहां ८ हैं, पंजाब में ४ हैं। इसी तरह एक, एक मिल वाले भी बहुत से स्टेट (राज्य) हैं। तो इस देश में शूगर की डिमांड (मांग) क्या है, और हम अभी कितना प्रोड्यूस (उत्पादन) करते हैं, प्लानिंग कमीशन ने क्या टारजेट शूगर प्रोडक्शन का रक्खा है और उसका क्या उद्देश्य है, यह सब मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी पिछले साल २० लाख टन चीनी पैदा की गई और हमारा कंजंप्शन है १६ लाख टन। तीन चार लाख टन हम रनिंग स्टाक भी रखना चाहते हैं जिसमें शूगर की प्राइस (कीमत) बढ़ने नहीं पावे स्केरसिटी (अभाव) की वजह से। हमको ७.७८ लाख टन एक्सपोर्ट (निर्यात) करना था लेकिन हम १.२५ लाख टन ही अभी एक्सपोर्ट कर पाये हैं। यह भी सेकेंड फाइव-इयर प्लान के अंदर टारजेट है कि इसको बढ़ाकर ४०, ५० लाख टन दें। लेकिन बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि एक रेज बढ़े। बढ़ाने का मतलब है कि इल्ड (उपज) फी एकड़ बढ़े।

हमारे बिहार में एक रेज बढ़ाने का सवाल नहीं है बल्कि ईख की इल्ड (उपज) बढ़ाने का सवाल है। हमको अपने शूगर को फौरेन मार्केट (विदेशी बाजार) में कम्पिटिटिव बनाना है और अभी १ लाख ५२ हजार टन ही हम लोग एक्सपोर्ट कर सके हैं। अभी ईख का दाम तय करते वक्त हमलोगों को वर्ल्ड मार्केट का मुंह देखना पड़ता है और यह भी देखना पड़ता है कि हमारी चीनी दूसरे मुल्कों में जाकर मंहगी नहीं पड़े। इसलिये हमको चीनी और ईख का दाम तय करने के वक्त वर्ल्ड प्राइस के ट्रेन्ड को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कभी हमलोग सेस में कुछ छूट देते

हैं और कभी भारत सरकार अपने एक्साइज में कुछ छूट देकर हमलोगों के यहां से शूगर बाहर भेजती हैं जिसमें हमारी चीनी दूसरे देशों में जाकर दूसरे देशों की चीनी से कमपीट करे। इसलिये हमलोगों के सामने यह सवाल नहीं है कि हमलोग एकरेज बढ़ावें बल्कि यह चाहते हैं कि जो भी चीनी हमलोग बनावें वह सस्ती भी हो। इसलिये एकरेज बढ़ाने का सवाल हमलोगों के सामने नहीं है बल्कि ईख के उत्पादन में वृद्धि करने का सवाल है। लेकिन अभी तो यहां पर दूसरे प्रांतों के मुकाबले में एकरेज भी बढ़ा हुआ है। एकरेज बढ़ने का एक कारण यह हो सकता है कि ईख ही एक मनीक्रौप है जिससे नगद रुपया किसानों को मिलता है। इसी वजह से हमारे स्टेट में इसका एकरेज बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी हमारे यहां सवाल यह है कि इल्ड और रिकभरी घट रही है। शूगरगकेन का दाम तय करने के समय इन दो परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है। इधर ४ साल से यह परिपाटी चली आ रही है कि सरकार ईख के सिजिन चालू होने के ६ या ८ महीने पहले ही इसका एलान कर देती है कि अगले साल के लिये ईख का क्या रेट रहेगा और उसके अनुसार अगर किसान को ईख पैदा करने में सुविधा हो तो वह इसकी खेती कर सकता है। यही पालिसी (नीति) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (भारत सरकार) की रही है, और इसी के मुताबिक एक सिजिन पहले ही नोटिफिकेशन के जरिये ईख का दाम एलान हो जाता है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—ईख बो देने के बाद जो फैक्टर्स पैदा होते हैं उनको क्या सरकार कंसीडर करने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—आप हमसे एक कदम पहले की बात सोचने लगे। अभी जो परिस्थिति है उसका उल्लेख मैं कर रहा हूं कि प्राइस फिक्सेशन में किन-किन चीजों का ख्याल किया जाता है और किस तरह से प्राइस फिक्स की जाती है। अब इसके अनुसार इस सिजिन के लिये हमलोग ईख के दाम के लिये कोई दर भारत सरकार के यहां रिकोमेंड (सिफारिश) करके भेजते हैं तो उसे अमल में लाने का उसे मौका नहीं मिल सकता है। अभी हमारे यहां २८ फैक्टरियां हैं जिनमें १९ या २० फैक्टरियां चालू हो गयी हैं। इसी तरह से दूसरे प्रांतों की फैक्टरियां भी चालू हो गयी हैं। अभी ईख की दर का फौरमल एलान हो गया है। अब अगर हमारी सिफारिश इस प्राइस को रिवाइज करने (दुहराने) के लिये जायेगी तो भारत सरकार इस पर दूसरे राज्यों की सरकार की भी राय लेगी और हर एक राज्य की राय आते-आते यह सिजिन खतम हो जायेगा। यह एक टेकनिकल आसपेक्ट है जिसकी तरफ मैं आपलोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं।

श्री शकूर अहमद—क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिजिन खतम हो जाने के बाद भी अगर दाम बढ़े तो काश्तकारों को उस बढ़ी हुई दर से दाम मिल जाय ?

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—ऐसा हो सकता है लेकिन यह सवाल सिर्फ बिहार प्रांत का नहीं है। इस सवाल का संबंध सारे भारतवर्ष से है और सवाल यह पैदा होता है कि सारे भारतवर्ष में ईख का दाम बढ़ाया जाय या नहीं। इसलिये अब एक सवाल यह भी है कि आपके प्रस्ताव में सिर्फ बिहार प्रांत की ईख का दाम बढ़ाने की बात है या सारे भारतवर्ष की ईख के दाम बढ़ाने की बात है। आपको मालूम

होना चाहिये कि यू० पी० और बम्बई प्रांत में भी ईख की खेती ज्यादा होती है और वहां पर इल्ड (उपज) भी काफी है। अगर आप अपने प्रांत की ईख की दर बढ़ा देते हैं तो यहां के बाजारों में बम्बई और यू० पी० की चीनी सस्ती मिलने लगेगी और इस तरह से आपके प्रांत के ईख फैकटरियों में स्टाक जमा होने लगेगा और इसकी वजह से आपके किसानों को ईख का दाम भी मिलने में देरी होने लगेगी। इसलिये आपको इसको भी सोचना होगा कि समूचे देश की चीनी और ईख का दाम बढ़े या सिर्फ बिहार की ईख और चीनी का। हमारे यहां तो यह भी एक दिक्कत है कि यहां पर गुड़ ज्यादा नहीं बनाया जाता है। यू० पी के किसान ईख घरपर पेरकरकाफी मात्रा में गुड़ भी तैयार कर लेते हैं। यहां के लोगों को तो मिलों के हाथ ही अपनी ईख को बेचना पड़ता है। ऐसी हालत में अगर ईख का दाम बढ़ा दिया जाय तो दूसरे प्रान्तों की चीनी सस्ती बिकने लगेगी और इससे बिहार के किसानों को क्षति होगी। इसलिये इस बात का जिक्र मैंने यहां पर कर दिया है जिसमें आपलोग अपनी सिफारिश खूब समझ बूझ कर करें। अभी हमारे यहां १२ नवम्बर के पहले भी केन क्रश किया गया और १५ मई के बाद भी लेकिन यहां पर ईख के दाम को घटाने नहीं दिया गया है जैसा कि यू० पी० में हुआ है। वहां पर तो ईख के दाम को घटा कर १५ आना प्रतिमन कर दिया गया था और जुलाई में तो ११ आना प्रति मन कर दिया गया था। इन सभी बातों का रिपरकशन प्राइस फिक्सेशन पर पड़ता है और इसलिये मैं आपलोगों से अनुरोध करता हूं कि इन सभी बातों को ध्यान में रख कर अपनी सिफारिश पेश करें कि सिर्फ हमारे बिहार में ही ईख का दाम बढ़ाया जाय या सारे भारतवर्ष में ईख का दाम बढ़ाया जाय। इसीलिये मैंने इन सारी बातों को आपलोगों के सामने रख दिया जिसमें आपलोगों को किसी निर्णय पर आने में सुविधा हो।

इसके बाद बहस के सिलसिले में कुछ ऐसी बातों को उठाया गया है जिससे इस सरकार पर कुछ रिफ्लेक्शन पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात असली बातों के नहीं मालूम होने से ही उठायी गयी है और इसलिये मैं इन चीजों को साफ कर देना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल केन के प्राइस पेमेंट का है। केन का दाम का एक प्रतिशत पिछले साल का बाकी है। अगर इस चीज को हम दूसरे स्टेट से मिलावें तो हम देखते हैं कि हमारा राज्य सबसे आगे है। इसी साल जुलाई के महीने तक जहां बिहार का फिगर ८५ प्रतिशत है यानी ८५ प्रतिशत को पेमेंट मिला है वहां यू० पी० का फिगर ६५ प्रतिशत है। सवाल यह है कि सरकार के साथ दिक्कत यह है कि उसको दोनों तरफ की बात को देखना पड़ता है। कुछ लोगों को आजादी है कि वे सिर्फ एक ही तरफ की बात को ऐडवोकेट करें। इसीलिए मैंने उचित समझा कि सभी फैक्टर्स को सभा के सामने रख दूं। बिहार सरकार ने कभी भी किसानों के हक को अपने हाथ से नहीं मुड़ा है और न मुड़ेगी। मैंने लेट पेमेन्ट को जसटीफाई (सिद्ध) करने के लिए यह फिगर नहीं दिया। मेरा मतलब इतना ही था कि अभी भी बिहार दूसरे सूबे से इस सम्बन्ध में आगे है।

बावजूद इसके इस साल बैंक् रेट बढ़ गया ७५ प्रतिशत चीनी का स्टाक पर जो बैंक एडभान्स करता है वह ६५ प्रतिशत पर उतर आया है। तो वह परसेन्टेज भी घट गया। चीनी की पैदावार भी ज्यादा हुई है, इसलिए ज्यादा पैसा देने की जरूरत पड़ी। ज्यादा वैगन्स की भी जरूरत पड़ी। तो ये सारे फैक्टर्स को कमबाईन किया (मिलाया) जाता है और सारी बातों पर निगाह डालते हैं तो कुछ रुकावट हो जाती है। ये सभी चीजें अपनी जगह पर प्राइस फिक्शेसन से सम्बन्ध रखती है। इसलिए मैंने उचित समझा कि इन सब चीजों को सभा के सामने रख दूं।

जहां तक सड़क का सम्बन्ध है पहली पंचवर्षीय योजना में ६९ मील की सड़क बनाई गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क बनाने का काम जारी है। इधर हाल में सेन्ट्रल शूगरकेन कमिटी ने ऐसा आश्वासन दिया है कि ५० लाख रुपये सड़क की उन्नति के लिए देगी यदि राज्य सरकार एक तिहाई और फैक्टरी वाले एक तिहाई दें। तो दो करोड़ रुपये इस योजना के खतम होते होते सड़क की उन्नति के लिए खर्च किया जायगा। उतनी ही रकम ट्राम लाईन की उन्नति के लिए दिया गया है। पिछले चन्द वर्षों के अन्दर ट्राम लाइन को बढ़ाने के लिए १२ लाख रुपया दिया गया था और ट्राम लाइन बढ़ायी भी गयी थी।

अब मैं दो चार मिनट में इस संकल्प के सम्बन्धित एक दो बात की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले एक दो फैक्ट्री ऐसे थे जिनकी पुरानी ट्राम लाइन थी और अपना केन उससे ले जाते थे लेकिन केन्द्रीय सरकार की दलील यह हुई कि यदि एक ही दाम ट्राम लाइन से ले जाने वाले और नहीं ले जाने वाले को दिया जाय तो आगे चल कर भविष्य में ट्राम लाइन डेवेलप नहीं कर पायेंगे। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि अलग-अलग दाम देना जरूरी है। अलग-अलग रेट से जो पैसे आयेंगे उसमें से ट्राम लाइन के डेवेलपमेंट पर खर्च किया जायगा और दिनोंदिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज (परिवहन सुविधा) ज्यादे से ज्यादे लोगों को मिलेगी।

रेड रड नाम का डिजिज का भी जिक्र किया गया है। यह बात सही है कि छपरा में जहां फैक्टरीज का एलाका है वहां यह रोग पाया गया है। वाघहा एलाके में भी इसे पाये गये हैं। पिछले साल सरकार इस पर काफी खर्च किया है। इस संबंध में केन्द्रीय कमिटी की तरफ से भी छानबीन हो रही है। अभी-अभी सिवान में इस रोग को रोकने के लिए एक कनफरेन्स बुलाई गई थी और एक प्रस्ताव भी इस संबंध में पास हुआ। सरकार बहुत जल्द डिसिजन (निर्णय) लेगी कि कितना सरकार को खर्च करना है और कितना केन्द्रीय समिति देगी।

जहां तक बीज की बात है इस संबंध में भी उचित व्यवस्था की जायगी।

जहां तक इरिगेशन रेट (सिंचाई दर) का सवाल है, इसके बारे में मैंने इरिगेशन (सिंचाई) विभाग से पूछा है और मालूम हुआ कि उस विभाग के सामने यह बात है कि ऊख उपजाने वालों को भी इरिगेशन रेट (सिंचाई दर) या ट्यूब-वेल रेट में जो कनसेशन और क्रॉप्स के लिये मिलता है वह कनसेशन ऊख उपजाने वाले को भी मिले।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि क्रिश्नप्पा साहब ने अपने दो स्पीचें (भाषणों) में दो तरह की बातें की हैं जो कन्ट्राडिक्टरी (परस्पर विरोधी) है। उस रिपोर्ट के बारे में माननीय सदस्य ने मखौल उड़ाने की कोशिश की है। सबसे अच्छा वह है जो इगनौरेंस (अज्ञान) में रहते हैं जहां तक फैक्टस (तथ्य) की बात है। लेकिन जो थोड़ा जानते हैं उनके लिए कोई भी चीज कन्ट्राडिक्टरी (विरोधाभास) मालूम पड़ती है।

**श्री श्रीधर नारायण**—मेरा एक प्वायन्ट ऑफ औडॅर है। अभी माननीय उप-मंत्री ने कहा है कि इस सभा के माननीय सदस्यगण मखौल उड़ाते हैं। यह डिसटौर्शन औफ फैक्टस हैं। यह अनपारलियामेंटरी है। और इसे उठा लेने के लिए कहा जाय।

**सभापति (श्री यदुनन्दन झा)**—मखौल उड़ाने के मानी जहां तक मैं समझता हूं हंसी है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के बारे में मखौल उड़ाने की कोशिश की गई।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—मैं समझता हूं कि मखौल उड़ाना मेम्बर के बारे में कहना डेफिनिटली अनपारलियामेन्टरी (निश्चित रूप से असांसद) है।

सभापति (श्री यदुनन्दन झा)—उन्होंने तो रिपोर्ट के बारे में कहा था, मेम्बर के बारे में तो नहीं कहा था।

श्री रामचरित्र सिंह—उनके कहने का मतलब यह है कि इस सभा के मेम्बर ने उस रिपोर्ट का मखौल उड़ाया है। तो यह तो मेम्बर पर आता ही है। इस सभा के मेम्बर्स (सदस्यगण) जिम्मेवारी के साथ आये हैं और बोलते भी हैं। यदि कोई मेम्बर बिना समझ-बूझ कर किसी आदमी की रिपोर्ट के बारे में मखौल उड़ाते हैं, ऐसा टेंजरी बेंच के लोग कहते हैं, तो यह मेरी समझ में अनपारलियामेंटरी (असांसद) है।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—मैंने कहा कि एक माननीय सदस्य ने कुमारअप्पा साहब की रिपोर्ट के बारे में मखौल किया।

**Shri RAM CHARITRA SINHA :** This means that the member was not serious and he did "makhaul".

**Shri MUHAMMAD SHAH JAHAN :** Sir, its equivalent word is 'to slight'. Is it parliamentary if the hon'ble member says that they have slighted the report ?

**CHAIRMAN (Shri JADUNANDAN JHA) :** If the word 'serious' is not unparliamentary why should the word 'slight' be unparliamentary.

श्री दारोगा प्रसाद राय—सभापति महोदय, "मखौल" शब्द कई बार सदन में अनपार्लियामेंटरी डिक्लेयर (असांसद घोषित) हो चुका है। साहित्य में भले ही कुछ दूसरा मतलब इसका हो लेकिन यहां जो रूलिंग हो चुकी है वही मैं कह रहा हूं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—एक सदस्य के बारे में कहना कि उन्होंने मखौल उड़ाया है, यह शायद उचित नहीं है।

सभापति (श्री यदुनन्दन झा)—अमुक सदस्य ने कुमारअप्पा साहब की रिपोर्ट का मखौल किया इसका मानी यह नहीं है कि उन्होंने सदस्य का मखौल उड़ाया बल्कि रिपोर्ट का मखौल किया है।

**Shri RAM CHARITRA SINHA :** This means that the member was not serious. This is clear aspersion on the member.

श्री चुनका हेम्ब्रोम—एक सदस्य होते हुए उन्होंने रिपोर्ट का मखौल उड़ाया है यह कहना हमारे ख्याल में पार्लियामेंटरी नहीं हो सकता है। इस असेम्बली में किसी रिपोर्ट का मखौल नहीं उड़ाया जाता है।

श्री रामचरित्र सिंह—हुजूर, यहां जितने भी मेम्बर हैं वे सब रेसपौन्सिबुल (जिम्मेवार) हैं इसलिए उनके बारे में यह कहना कि They are "*makhauling*" with the reports, पार्लियामेंट्री नहीं मालूम होता और न उचित है।

श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, अच्छा होता कि आप पहले की कार्यवाही को देख कर इस पर अपनी राय देते।

सभापति (श्री यदुनन्दन झा)—अच्छी बात है, हम प्रोसीडिंग्स को देखेंगे।

श्री रामचरित्र सिंह—सभापति महोदय, सरकार की ओर से जो बातें कही गई हैं उसमें कहा गया है कि सरकार इस संकल्प को केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृत होने के बाद भेज देगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे सीधे पोस्ट ऑफिस की तरह से भेज देगी या उस पर अपना नोट वगैरह देकर भेजेगी?

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—सभापति महोदय, अभी जो संकल्प सदन के सामने विचार के लिए उपस्थित है, सदन में स्वीकृत होने के बाद सरकार अपने विचार के साथ केन्द्रीय सरकार के पास भेज देगी।

श्री रामचरित्र सिंह—सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन से संकल्प स्वीकृत होने के बाद राज्य सरकार उस पर कुछ नोट वगैरह अपना देगी या नहीं या योंही उसे भेज देगी? सभापति महोदय, मेरी राय यह है कि संकल्प सदन में स्वीकृत होने के बाद राज्य सरकार अपनी रिकोमेन्डेशन (सिफारिश) के साथ केन्द्रीय सरकार के पास उसे भेज दे।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—सभापति महोदय, इस संकल्प पर सदन में फैसला होने के बाद सरकार अपनी सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार के पास उसे भेज देगी।

सभापति महोदय, मैं संक्षेप में यह कह दूं कि अभी जो प्रस्ताव सदन के सामने है उसे सदन के सदस्य इस रूप में देखें कि प्राइस फौर दी क्रशिंग सीजन, प्राइसेज फौर दी नेक्स्ट इयर, बिहार प्राइस और ऑल इंडिया प्राइस। इस कंटेक्स्ट में सदन की रिकोमेन्डेशन अगर हो तो केन्द्रीय सरकार के यहां भेजने में प्रांतीय सरकार को आसानी होगी। यह ऐसी चीजें हैं जिनके कारण प्राइसेज को फिक्स करने में या बढ़ाने में या उसमें तरमीम करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि इस कंटेक्स्ट में सदन अपना विचार दे।

श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, उपमंत्री ने बतलाया कि केन के गेट प्राइस और वे ब्रिज प्राइस को दो रखने में एक यह भी कारण है कि इससे फैक्टरी के किसानों के लिए इस तरह की व्यवस्था करने के लिए इंसेन्टिव मिलता है। मैं अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई ऐसा आंकड़ा है तो वे बतलायें कि ऐसा इंसेन्टिव दिखलाया गया है तो कितनी फैक्ट्रीज ने कितनी जगहों में ऐसी व्यवस्था की है।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—हुजूर, इस संबंध में बातें ऐसी हैं कि आज से चन्द साल पहले क्रशिंग सीजन के बाद चीनी का दाम बढ़ा था और इस सिलसिले में भारत सरकार ने जो मिलों से ड्यूटी के रूप में पैसा लिया था उसका कुछ खास हिस्सा शूगर प्रोड्युसिंग एरिया के लिए एलौट कर दिया था। इस तरह १९ लाख रुपया बिहार को मिला है और फाइन होने पर और भी मिलेगा। इसके अलावा शूगरकेन कमिटी ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और ट्रामवे लाइन के लिए फैक्ट्रीज को लोन देने के लिए कुछ रुपया निकाल रखे हैं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य रूप में परिणत किया जायगा। उसमें से ५० लाख रुपये बिहार प्रान्त में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर खर्च होने की संभावना है। यह तो प्राविजन ऑफ फंडस की बात हमने बतलायी। अब विकास करने वाले फैक्ट्रीज को इसी आधार पर १९ लाख रु० में से १२ लाख रु० लोन दिए गए हैं और करीब १२ ट्राम्वे लाइन भी बनी हैं।

अन्त में मैं फिर सदन के सामने कहना चाहता हूं कि सरकार सदन का रुख जानने के बाद अपने विचारों के साथ भारत सरकार में यह संकल्प भेज देगी। मैंने दोनों तरह की बातें सदन के सामने रख दी। इस दृष्टिकोण से अब सदन को इस विषय पर अपनी राय देनी है।

मैंने कुमारअप्पा साहब की रिपोर्ट के बारे में कहा तो सदन में कितनी तरह की बातें सुनने में आईं। मैं कहता हूं कि यदि किसी जगह पर आप जाते हैं तो समयानुकूल बातें नहीं बोल कर क्या आप दूसरी तरह की बातें बोलते हैं? अगर मिल ओनर्स के कांफ्रेंस में आप जायं तो वहां रिकवरी की बातें नहीं करें, इल्ड (उपज) की बातें नहीं करें, केन प्राइस की बातें नहीं करें तो क्या टेलिग्राफ की बातें या दूसरी बातें करेंगे? बात साफ है कि जैसी सभा होती है उसी के अनुकूल बातें भी होती हैं। यह सौभाग्य सरकार को प्राप्त है कि दो दिशाओं में जाने वालों को यानी केनग्रोअर्स और फैक्ट्रीज दोनों को साथ मिला कर चलाने का काम सरकार के जिम्मे है जिसका तजुर्बा आपको नहीं है। दोनों को मिला कर चलाने का फिक्र सरकार को है। वे ऐसा बोलते हैं तो क्षम्य है। मैंने इसलिए इन बातों को कहा कि सारी बातों को समझ कर बोलें तो और भी सुविधा होगी। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों को और मिल मालिकों को छोड़ दें, वे लोग आपस में खुद ही दाम तय कर लेंगे लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक इसका ऐक्ट नहीं बना था उस वक्त यही होता था और उस वक्त किसानों की हालत बहुत रद्दी थी, उसके बाद से, जब से सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया है तब से किसानों की हालत बहुत कुछ सुधर गयी है। उस जमाने में जब इसके लिए कोई कानून नहीं था ऐसा हुआ है कि हजारों बीघे की खेती बर्बाद हो गयी, सूख गयी, दाम नहीं मिल सका। ये बातें १९३६ की हैं। उस वक्त एक एक पूर्जी के लिए दो रुपये, चार रुपये और पांच रुपये तक खर्च करने के लिए लोग तैयार रहते थे। उसके बाद जब यह कानून आया तब किसानों की हालत कुछ सुधरी। जो माननीय सदस्य इसके इतिहास को जानते होंगे उनको मालूम होगा कि इस सरकार के आने पर ही इसमें स्टैबलिटी (स्थायित्व) आया है, इसके पहले स्टैबलिटी (स्थायित्व) नहीं था। आज भी यदि किसानों को अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाय तो क्या नतीजा होगा? मिल वालों के पास रिटेनिंग कपैसिटी ज्यादा है, आपके पास कच्चा माल है जो सूख जायगा।

श्री दारोगा प्रसाद राय—उनके मिल की एक एक ईंट न बिक जायगी?

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—आप इस चीज को देख रहे हैं कि वे जब चाहते हैं भाव बढ़ा लेते हैं। आपको यह मानना ही होगा कि आपके पास कच्चा माल है जो जल्द ही बर्बाद हो जायगा, आप इसको ज्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। यह तो मामूली सी बात है कि कच्चे माल को ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता है, ज्यादा दिनों तक रखने से माल बर्बाद हो जायगा और आपको ही नुकसानी होगी। यह कोई नई चीज नहीं है। जब से सरकार इस बीच में आयी है तब से किसानों की हालत अच्छी हुई है, इससे मैं समझता हूं कि सभी लोग सहमत होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि जैसा भी प्रस्ताव आपने पेश किया है इसे सरकार अपनी रिकोमेन्डेशन (सिफारिश) के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (भारत सरकार) के पास भेज देगी। यह प्रश्न हां और ना के बीच में नहीं है। मैंने अपनी बातों को आपके सामने रख दिया। अब आप अपने विचारों को रखें।

श्री अब्दुल गफूर—आन्ध्र में गर्मी में भी ईख पैदा की जाती है, इस तरह से अगर यहां भी गर्मी में डिस्ट्रीब्युट हो तो उसमें इतना नुकसान नहीं होगा जैसा कि आज होता है।

श्री बिपिन बिहारी सिंह—माननीय सभापति महोदय, माननीय उप-मंत्री जी ने अभी तिवारी जी के भाषण का उल्लेख किया और कहा कि कृष्णप्पा की बातों की चर्चा की गयी थी। जहां तक मुझे याद है तिवारी जी ने इस तरह कहा था। कृष्णप्पा ने २१ मई १९५७ को लोक सभा में कहा था कि:

Sugar recovery begins to fall from the beginning of May due to inversion of sucrose content in cane owing to heat. If the recovery falls below a certain limit, sugar factories do not find it economical to continue crushing and they refuse to work unless necessary reduction is made in the cane price. The Government has no power to compel factories to work at a loss. और आगे कहा

I fully appreciate the difficulty to the cultivators if their entire crop is not crushed by the end of April, when they have to get busy with the processing of the rabi crop. They have also to incur losses due to driage of cane and pay higher charges for harvesting and transport.

उनके कहने का मतलब था कि एक तरफ मिल मालिकों की घटी को सोच कर ईख का दाम घटाते हैं और दूसरी तरफ अप्रैल महीने में जब ईख सूखने लगती है और बर्बाद होने लगती है उस वक्त सरकार किसानों के घाटा पर विचार ही नहीं करती है। इस तरह किसानों को भी नुकसानी होती है और सरकार का भी एक्साइज रेवेन्यु जाता रहता है। अभी आपने कहा कि शूगरकेन बोर्ड बिहार तथा यू० पी० का बना था, उसे खतम कर दिया गया। बात सही है। सच्ची बात यह है कि उसे खतम करने के बाद अब केन्द्रीय सरकार ईख का दाम स्वयं फिक्स (निर्धारित) करती है। इस प्रस्ताव को मैंने इसलिए लाया कि इसे यहां से पास किया जाय तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी

समझें कि डिमांड ठीक है या नहीं, यह जायज है कि नहीं कि ईख का दाम बढ़ाना चाहिए। आप ने देखा कि कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, प्रजा समाजवादी पार्टी के, तथा अन्य पार्टियों के लोगों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की है कि ईख की कीमत बढ़ायी जाय। हमारे उप-मंत्री महोदय ने एक बात और कही है डिमांड ऐंड सप्लाई के बारे में। इसके बारे में इंडियन शूगर जरनल में लिखा है कि :

Judging from the trend of world sugar consumption in the last 20 years or so and more particularly of the years since the second world war, it appears that the upward tendency of sugar consumption in the world will continue in the years to come. The average rate of increase, according to F. O. Licht, may be estimated conservatively at 4 per cent. That means in 1959-60 the world consumption would be about 46,778,000 tons or 6,791,000 tons more than in 1955-56.

In a study of the development of the total world sugar consumption and the consumption per head of population F. O. Licht says that these figures show impressively the large task with which the world sugar industry is confronted.

इसके अनुसार चार परसेंट चीनी की मांग दुनिया में बढ़ती चली जायगी इसलिए उप-मंत्री जी का यह कहना कि डिमांड और सप्लाई पर बेस करके ईख का दाम कम रखा गया है, यह गलत है क्योंकि डिमांड (मांग) बहुत ज्यादा है वनिस्वत प्रोडक्शन (उत्पादन) के। आपने कहा है कि प्रोडक्शन (उत्पादन) शूगरकेन (ऊख) का बढ़ा है। और पिछले दो वर्षों में ऐसी परिस्थिति पर पहुंच गयी है जब कि शूगर फैक्टरियों के पेरने की शक्ति से ईख की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। साउथ (दक्षिण) बिहार में ईख का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं बढ़ा है, ज्यादा नौर्थ (उत्तर) बिहार में बढ़ा है और वह इसलिए कि बाढ़ को शूगरकेन ही एक ऐसा क्रौप है जो कुछ मुकाबला कर सकता है, दूसरा क्रौप बाढ़को स्टैण्ड ही नहीं कर सकता। हमलोगों का ऐसा विचार है कि शूगर फैक्टर से जो मोलासेज (छोआ) निकलते हैं उसे भी उचित रूप में काम में लाने का प्रबंध किया जाय तो अच्छा होगा। इससे डी० डी० टी०, एसीटीलीन, सिन्थेटिक रबर वगैरह बनाया जा सकता है। डालमियानगर में बगास से कागज की एक फैक्टरी खुली है। सरकार को इस तरह के कारखाने खोलने पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा करने से चीनी का दाम घटाया जा सकता है। मैंने प्रस्ताव दिया था कि शूगरकेन का दाम १ रु० १० आना रखा जाए और उस पर श्रीमती मनोरमा देवी ने १ रु० १२ आना रखने का जो संशोधन दिया है उसे मान लेता हूं।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—सदन के सामने बहुत अच्छा सुझाव आया है कि

---

शूगरकेन को 'अरली मैच्युरिंग' क्यों नहीं बनाया जाता है और ऐसा हो कि जेठ की हवा लगने के बाद भी उसका रस सूखने नहीं पावे। आज दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और इस विषय में अनुसंधान हो रहे हैं लेकिन यह बहुत ज्यादा निर्भर करता है वर्षा पर। हवाई द्वीप में बारहों महीना क्राशिंग होता है क्योंकि वहां बराबर पानी पड़ता है। हमारे यहां कभी बहुत गर्मी पड़ जाती है और कभी बहुत अधिक ठंढ पड़ जाती है इसलिये इसमें हमलोग सफल नहीं हो पाये हैं। लेकिन इसकी जांच हो रही है। वर्ल्ड मार्केट की बात कही गयी है लेकिन यूरोप के देशों में बीट से भी शूगर पैदा किया

जाता है। यदि हम भी ऐसा करें तो हमारी चीनी बहुत महंगी पड़ेगी। यह बात ठीक है कि दक्षिण पूर्व एशिया में चीनी की कमी है और हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है।

सभापति (श्री यदुनन्दन झा)—प्रस्ताव यह है कि:

"शब्द और संख्या रु० १-१०-० (एक रुपये दश आने) के बदले रु० १-१२-० (एक रुपये बारह आने) रखा जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति (श्री यदुनन्दन झा)—विशेष प्रस्ताव यह है:

"That this House recommends to the State Government to move the Government of India that the price of sugarcanes for the next two years should be raised to at least Rs. 1-12-0 (one rupee and twelve annas) and that there should be uniform rate both at the factory gates and outstations."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा बुधवार, दिनांक ४ दिसम्बर १९५७ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना,
तिथि ३ दिसम्बर १९५७।

इनायतुर रहमान,
सचिव, बिहार विधान-सभा।

वि० ०मु० (ए०एल) ३१९ ( )—८७०+१—मोनो—२७-६-१९५८—अ० कुमार